भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *40
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पश्चिम बंगाल में मनरेगा की बहाली

***40. श्रीमती साजदा अहमद:**
सुश्री महुआ मोइत्रा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सरकार को 1 अगस्त 2025 से पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का काम फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त आदेश के समय पर अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार उक्त अवधि , जब धनराशि रोक दी गई थी , के दौरान किए गए भुगतानों की प्रतिपूर्ति पश्चिम बंगाल सरकार को करेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 40 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) से (ग): माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 18.06.2025 के अपने फैसले में पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) को पुन: शुरू करने के संबंध में कुछ आदेश दिए हैं। आगे की कार्रवाई तय करने के लिए मंत्रालय में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है।

*****